संख्या फा0 7(61)-संस्था0 III(क)/77
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1977.

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- समूह 'ग' और 'घ' संवर्ग में सैलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति - प्रारम्भिक वेतन का नियतन ।

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 10 जनवरी, 1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा0 7(21)-संस्था0 III(क)/74, के पैरा 1(vii) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था की हुई है कि सैलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति पर वेतन का नियतन उसी स्तर पर किया जाएगा जिस पर साधारण ग्रेड में वेतन लिया जाता है अगर सैलेक्शन ग्रेड में वेतन-मान का ऐसा स्तर हो, अथवा ऐसा कोई स्तर न हो तो उससे अगले उच्चतर स्तर पर किया जाएगा ।

2. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की विभागीय परिषद् की 8-7-77 को हुई 23वीं साधारण बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रश्न की जांच करने पर सहमति हुई कि क्या उन व्यक्तियों को जो अधिकतम पर पहुंच चुके हैं और एक वर्ष से अथवा इस से अधिक समय से उस स्तर पर हैं, अगला उच्चतर स्तर दिया जा सकता है जबकि उक्त अधिकतम स्तर सैलेक्शन ग्रेड में भी उसके तदनुरूपी हो । इस प्रश्न पर विचार किया गया है । इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं0फा0 2(33)-संस्था0 III(क)/63 दिनांक 22/8/67 के अन्तर्गत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उन मामलों में जिनमें सैलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति होने पर वेतनमान का नियतन मूल नियम 22(क)(II) के अन्तर्गत किया जाता है, वहां पर मूल नियम 22 के नीचे दी गई लेखा-परीक्षा अनुदेश संख्या 1 के उपबन्ध भी लागू होंगे । उक्त स्पष्टीकरण उन मामलों पर भी समान रूप से लागू होगा जिनमें सैलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति होने पर वेतन का नियतन इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10-1-77 के पैरा 9(VII) के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है । दूसरे शब्दों में, अगर सैलेक्शन ग्रेड में साधारण ग्रेड का अधिकतम तदनुरूपी है और अधिकारी जो साधारण ग्रेड के अधिकतम स्तर पर एक वर्ष या इससे अधिक समय से सेवा करने के पश्चात पदोन्नत हुआ है तो वह अपने उस वेतन का हकदार होगा जो सैलेक्शन ग्रेड में अगले उच्चतर स्तर पर नियत किया जाए ।

पी. एस. वेंकटेश्वरन्
(पी0एस0 वेंकटेश्वरन्)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभाग ।
(अंग्रेजी पाठ में दी गई सूची के अनुसार)